न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 58/2021

उनवान

तेजकरण पिता लालशंकर जाति ब्राह्मण निवासी नाटावाड़ा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

(1) मीलन पिता श्री अशोक जाति ब्राह्मण निवासी मादलदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(2) महेश पिता श्री अशोक जाति ब्राह्मण निवासी मादलदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(3) हरीश भट्ट गोदपुत्र पन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी मादलदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(4) दामोदर भट्ट पिता हिरालाल जाति ब्राह्मण निवासी मादलदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(5) तहसीलदार, गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि. एवं 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 06.8.2024

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भुमि खाता संख्या 57 (नया) 51 (पुराना) के आराजी सर्वे नम्बर 248 रकबा 0.31 एयर एवं 254/1718 रकबा 0.30 एयर वाके गावं काकुरवा तहसील गढीं जिला बांसवाडा मे स्थित है।वादी इस भूमि का एकमांत्र स्वामी होकर वादी के अलावा इस भूमि पर किसी अन्य का कोई हक एवं अधिकार नही है। दौराने सेंटलमेंट राजस्व अधिकारियो ने वादी के पिता का नाम, गांव गलत दर्ज करते हुए प्रतिवादीगण 01 से 04 के नाम गलत इन्द्राज कर दिये, जबकि प्रतिवादीगण वादी के परिवार, गांव के नही होकर वादी की पैतृक भूमि में प्रतिवादीगण का कोई अधिकार नही है। वादी के कई बार राजस्व अधिकारीया से उक्त त्रुटी को दुरस्त करने के लिए निवेदन किया। वादी ने प्रतिवादीगण से भी कई बार निवेदन किया लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने वादी की प्रार्थना नही सुनी और त्रुटी दुरस्त नही की। राजस्व रिकार्ड मे उपरोक्त त्रुटी को दुरस्त कर वादी को एकमात्र खातेदार कृषक घोषित करना आवश्यक है। इस हेतु वाद पत्र 88 रा.का.अ. तथा राजस्व त्रुटी राजकीय कर्मचारियो की गलती से हुई है। जिसे राजस्व रेकार्ड में दुरस्त करने के लिए तहसीलदार गढी को आदेश दिया जाना आवश्यक है। इस हेतु वाद 136 LR Act- में पेश हुआ।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामील प्राप्त होने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण के उपस्थित नही होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पखीय कार्यवाही का आदेश पारित किया जाकर प्रकरण में तहसीलदार गढ़ी की रिपोर्ट ली जाने पर तहसीलदार गढ़ी की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत होकर कथन किया कि "ग्राम काकरवा में आराजी नम्बर 248 रकबा 0.31 हे0 किस्म–भू.क. एंव आराजी नम्बर 254/1718 रकबा 0.30 हे0 किस्म–भू.क. कुल किता 2 रकबा 0.61 हे0 हाल जमाबन्दी संवत 2075–78 में खाता संख्या 57 (न[illegible] तेजकरण पुत्र गेबिलाल हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण सा. मादलदा पन्नालाल पिता [illegible] 1/3 जाति ब्राह्मण सा. मादलदा, हिरालाल पुत्र भूराराम हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण सा. मादलदा के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। वर्तमान में उक्त आराजी नम्बर पर मौके पर उपस्थित ग्रामीणजनों द्वारा बताए [illegible] तेजकरण पिता लालशंकर निवासी नाटावाड़ा द्वारा कृषि कार्य किया जाना अवगत कराया। प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प पाराहेड़ा में पटवारी हल्का गोपिनाथ का गड़ा एंव भू–अभिलेख निरीक्षक गोपिनाथ का गढ़ा की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में कथन किया गया कि "जमाबन्दी संवत 2035 से 2038 में खाता संख्या 32 के आराजी नम्बर 987 रकबा 1 बीघा 15 ब्रिसवा व आराजी नम्बर 1524/966 रकबा 2 बीघा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा लगान 0.94 रू0 खातेदार तेजकरण पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:22:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

लालशंकर बाह्मण साकिन नाटावाड़ा के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है, सेटलमेंन्ट पूर्व के आराजी नम्बर 987 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा का हाल तुलनात्मक आराजी नम्बर 248 रकबा 0.31 हे0 व आराजी नम्बर 1524/966 रकबा 2 बीघा का हाल नया तुलनात्मक नम्बर 254/1718 रकबा 0.30 हे0 भूमि के तुलनात्मक नम्बर सही होकर सेटलमेंन्ट पूर्व में तेजकरण पिता लालशंकर ब्राह्मण साकिन नाटावाड़ा के नाम से ही खाता दर्ज रिकार्ड होना अवगत कराया गया है।

प्रकरण में वादी अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी अभिभाषक की बहस पर मनन् एंव वादी की ओर से प्रस्तुत वाद, राजस्व अभिलेख तथा तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की रिपोर्ट, पटवारी/भू–अभिलेख निरीक्षक गोपिनाथ का गढ़ा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया जाने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि पटवार हल्का गोपीनाथ का गड़ा के मौजा काकरवा की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 57 (नया) 51 (पुराना) के कुल किता 2 रकबा 0.61 हे0 भूमि भू–प्रबन्ध से पूर्व तेजकरण पिता लालशंकर ब्राह्मण साकिन नाटावाड़ा के नाम दर्ज रिकार्ड थी। तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि पर वादी ही काबिज होकर काश्त कर रहा है। तथा प्रतिवादीगण सम्मन तामील होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

अतः पटवार हल्का गोपीनाथ का गड़ा के मौजा काकरवा की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 57 (नया) 51 (पुराना) के कुल किता 2 रकबा 0.61 हे0 भूमि में दर्ज खातेदारान् का नाम नाम विलोपित किया जाकर वादी तेजकरण पिता लालशंकर जाति ब्राह्मण निवासी मादलदा को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

आदेश

पटवार हल्का गोपीनाथ का गड़ा के मौजा काकरवा की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 57 (नया) 51 (पुराना) के कुल किता 2 रकबा 0.61 हे0 भूमि में दर्ज खातेदारान् का नाम नाम विलोपित किया जाकर वादी तेजकरण पिता लालशंकर जाति ब्राह्मण निवासी मादलदा को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करने का आदेश दिया जाकर इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.8.2024 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:22:08 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अन्जु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 58/2021

उनवान

तेजकरण पिता लालशंकर जाति ब्राह्मण निवासी नाटावाड़ा तहसील गढी ज़िला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

(1) मीलन पिता श्री अशोक जाति ब्राह्मण निवासी मादलदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(2) महेश पिता श्री अशोक जाति ब्राह्मण निवासी मादलदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(3) हरीश भट्ट गोदपुत्र पन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी मादलदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(4) दामोदर भट्ट पिता हिरालाल जाति ब्राह्मण निवासी मादलदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(5) तहसीलदार, गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि. एवं 136 भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 06.8.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी अभिभाषक पेष होकर हुक्म दिया जाता हैं कि पटवार हल्का गोपीनाथ का गड़ा के मौजा काकरवा की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 57 (नया) 51 (पुराना) के कुल किता 2 रकबा 0.61 हे0 भूमि में दर्ज खातेदारान् का नाम नाम विलोपित किया जाकर वादी तेजकरण पिता लालशंकर जाति ब्राह्मण निवासी मादलदा को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल—दरामद करने का आदेश दिया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 06.8.2024 को जारी की गई।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामां वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	[illegible]	शून्य
फीस कंमिश्नर	शून्य	[illegible] हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:22:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

6.8.24

पत्रावली पेश हुई। वादी अभिभाषक उपस्थित। अनुकूलाय वादी की बहस पर मननपूर्वक प्रस्तुत बाद अभिलेख का अवलोकन किया जाकर प्रकरण में पृथक से निर्णय जारी कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली जेरे नम्बर होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
?
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:22:08 IST
Reason: SelfAttested